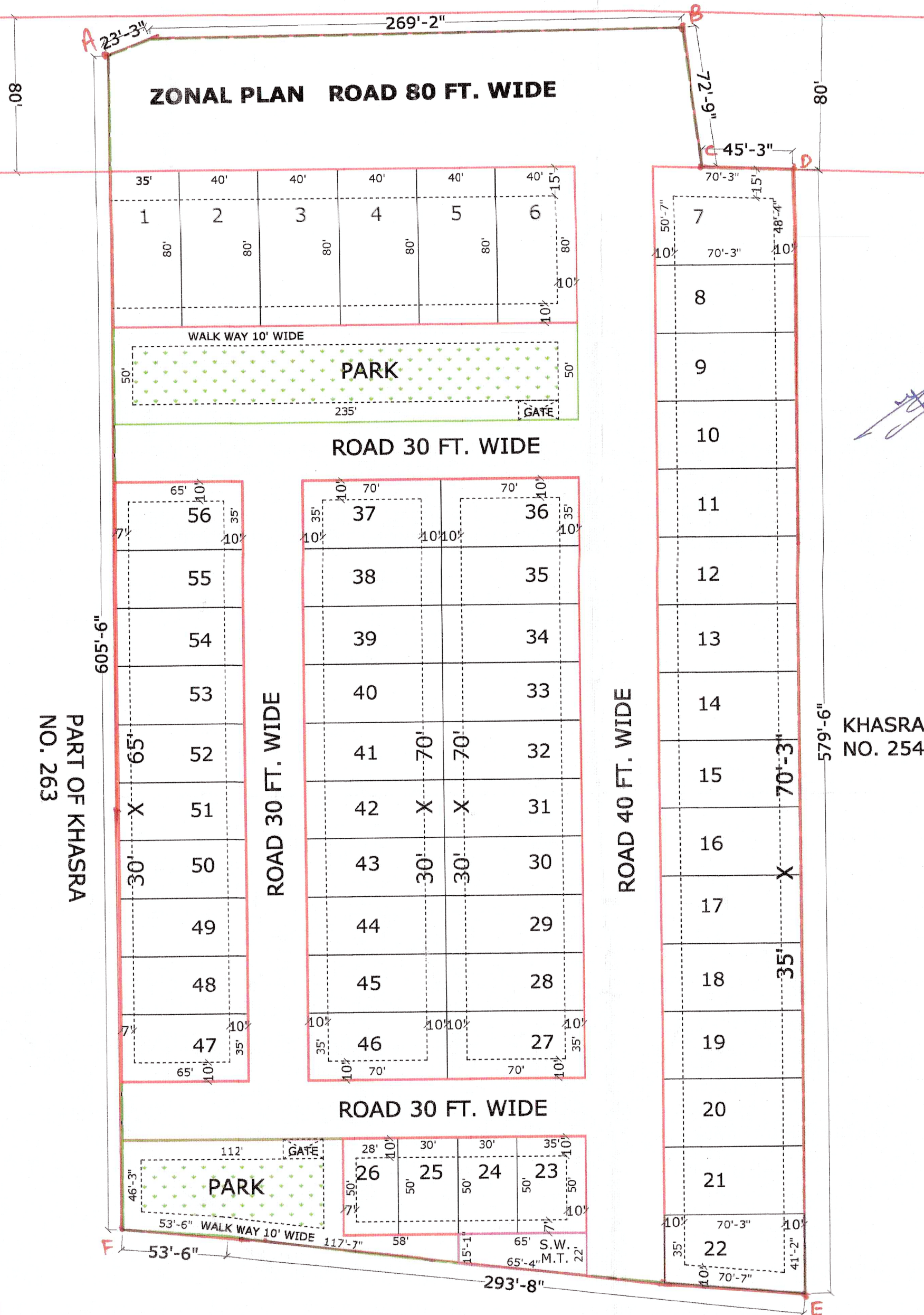


1.	आयोजना शाखा में प्राप्ति क्रमांक/दिनांक	226/21.09.2023
2.	आवेदक का नाम	1. श्री चैनाराम पुत्र श्री धन्नाराम, 2. श्री कमल किशोर पुत्र श्री धनराज 3. श्रीमती देवी देवी पत्नी श्री पुत्ताराम 4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवाराम
3.	राजस्व ग्राम	नान्दड़ा कला
4.	खसरा संख्या	263
5.	आवेदित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	17.00.00 बीघा में से 12.07.00 बीघा (19991.47 वर्गमीटर)
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किये गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 12 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावे। सड़क मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावे। 2. राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी-2010 व उक्त के कम में समय समय पर जारी दिशा-निर्देशो अनुसार आवश्यक शुल्क एवम् नियमों की पालना की सुनिश्चितता जोन/आवेदक द्वारा की जावे। 3. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है 0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावे। 4. रेरा अधिनियम-2017 के तहत राजस्थान रियल एस्टेट रेग्युलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) द्वारा दिनांक 14.03.2023 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी आदेशों अनुसार निजी खातेदारी, निजी विकासकर्ता की उक्त प्लॉटेड योजना (Plotted Development Project) में पट्टे जारी करने से पहले उस योजना का रेरा में रजिस्ट्रेशन करवाया जाना अनिवार्य है। उक्त की सुनिश्चितता एवं प्रस्तावित योजना में जल एवं विद्युत आपूर्ति की सुनिश्चितता प्रार्थी स्वयं के स्तर पर किये जाने का शपथ-पत्र प्राप्त किये जाने की सुनिश्चितता जोन उपायुक्त द्वारा की जावे। 5. अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये गए सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क इत्यादि के डिमांडेशन की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण नहीं होने, पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व शीक पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने एवं सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाने इत्यादि की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जावे। 6. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।	

जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

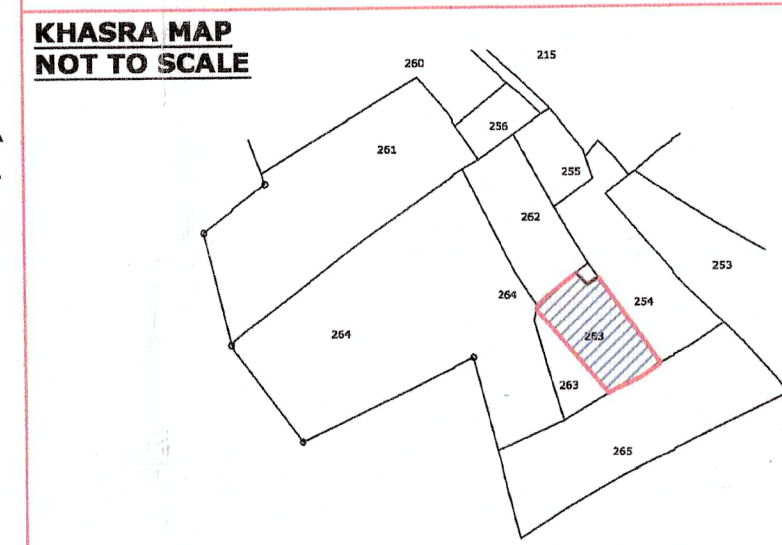
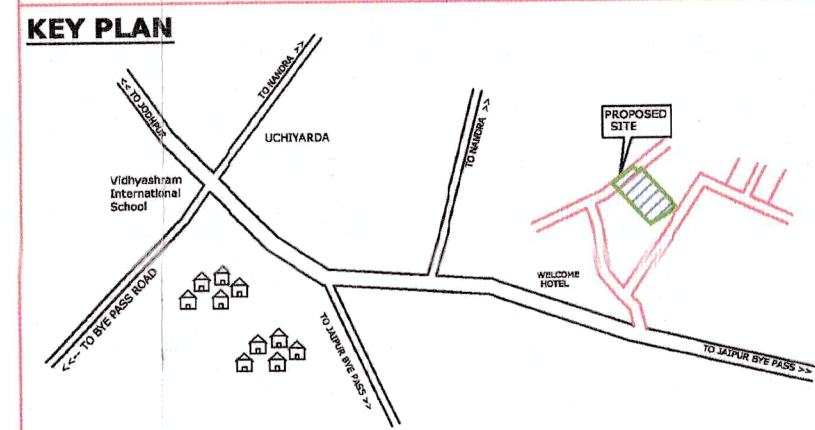
निदेशक आयोजना
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

PLOT NO.	SQ.YDS.
1	311.11
2	355.55
3	355.55
4	355.55
5	355.55
6	355.55
7	386.35
8	273.19
9	273.19
10	273.19
11	273.19
12	273.19
13	273.19
14	273.19
15	273.19
16	273.19
17	273.19
18	273.19
19	273.19
20	273.19
21	273.19
22	297.49
23	194.44
24	166.66
25	166.66
26	155.55
27	272.22
28	233.33
29	233.33
30	233.33
31	233.33
32	233.33
33	233.33
34	233.33
35	233.33
36	272.22
37	272.22
38	233.33
39	233.33
40	233.33
41	233.33
42	233.33
43	233.33
44	233.33
45	233.33
46	272.22
47	252.78
48	216.66
49	216.66
50	216.66
51	216.66
52	216.66
53	216.66
54	216.66
55	216.66
56	252.78
TOTAL	14341.89

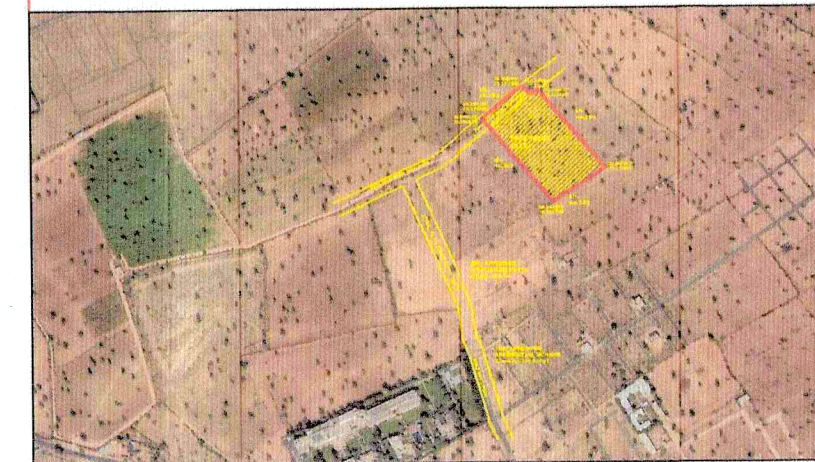


LAND USES ANALYSIS		
PLOTS	AREA in Sq.yd.	AREA OF %
PLOT AREA	14341.89	59.98 %
PARK AREA	2016.58	08.44 %
M.T./S.W.D. AREA	134.43	00.56 %
ROAD AREA	7416.70	31.02 %
TOTAL SCHEME AREA	23909.60	100.00 %

Area in Bigha. = 12 Bigha , 7 Bishwa



GOOGLE MAP OF KHASRA NO. 263 OF VILLAGE NANDRA KALLA
AT JODHPUR



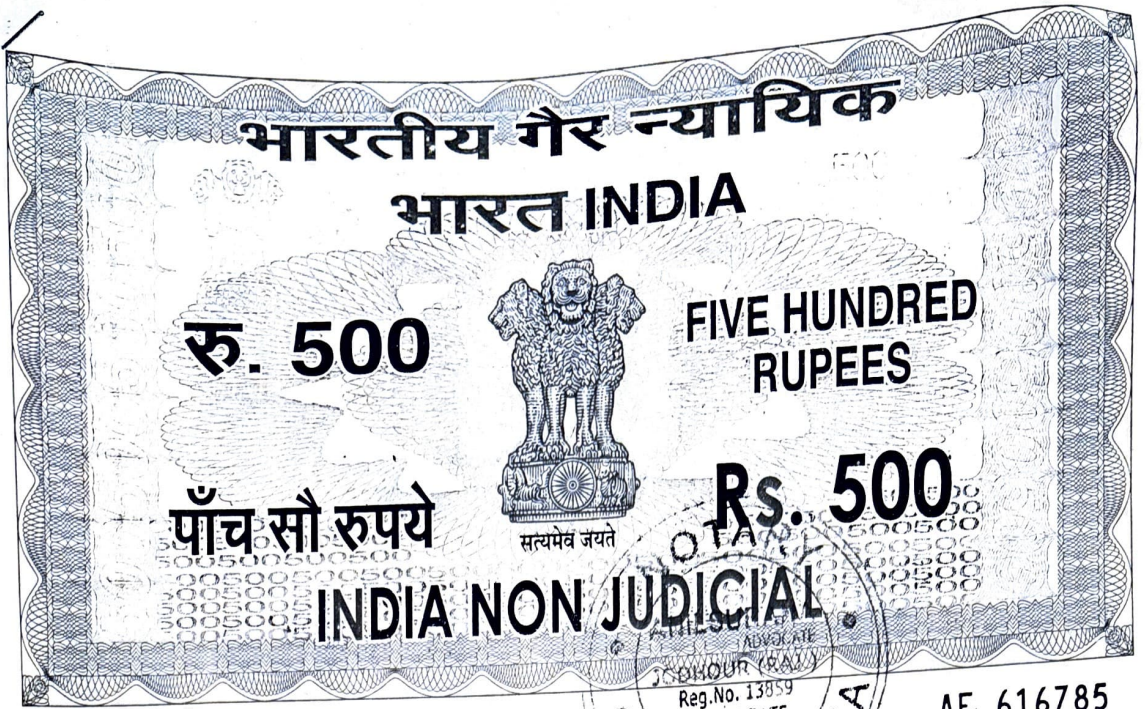
ए.प्र.संख्ये संख्या 16 (राजकाज सं. 02314) (बैठक दिनांक 27.09.2024) :-		जोन-01
1.	अयोजना शाखा में प्रारित क्रमांक/दिनांक	226 / 21.09.2023
2.	अयवेदक का नाम	1. श्री धनराज पुत्र श्री धनराज, 2. श्री कमज किशोर पुत्र श्री धनराज 3. श्रीमती डेवी देवी पत्नी श्री पुसराज 4. श्री ओमप्रकाश पुत्र श्री देवाराज
3.	रजसूत्र ग्राम	नाम्सदा कलां
4.	खसरा संख्या	263
5.	अवरोधित भूमि का क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)	17.00,000 बीघा में से 12.07,000 बीघा [1999/47 वर्गमीटर]
6.	प्रार्थी द्वारा चाहा गया उपयोग	आवासीय योजना
7.	निर्णय :- तस्मिन्नि द्वारा उपरोक्त व पञ्चमती का बवतोकन किये गये। विचार-विमर्श उपरान्त निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-	
1.	प्राधिकारण द्वारा पूर्व में किये गए कम्पिटेटिव एग्रेज जोनन का डायग्राम तथा अनुसार आश्रितित शर्तों के समेत 24 मीटर (सड़क के मध्य बिन्दु से 12 मीटर) सड़क मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जाये। निर्देशक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोड़ोपार्श्व के पक्ष में निशुक्रम समर्पित करवाया जाये।	
2.	राजस्थान ट्रांसमिशन एजेंसी-2010 व उक्त के क्रम में कसम सत्य सत्य पर जारी दिशा-निर्देशों अनुसार आश्रक शुकुल एग्रेज नियमों की पञ्चमती की सुनिश्चितता जोन/अवेदक द्वारा की जाये।	
3.	नयुमनगंरिज जल आवाय योजना-2015 के कार्यावासीय 2 ह० से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विकस्य योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समनुवत्य स्थिति जोन स्तर पर की जाये।	
4.	रेशा अधिगमिणियन में दशरांश गुप्त सुविधा क्षेत्र, सड़क, पार्क द्वायवर्ती के डिमांकरती की कार्यवाही होने, सड़क मार्गाधिकार में निर्माण होने, पेटटा किलेज जारी किये जाने से पूर्व मीके पर निर्माण होने की स्थिति में राशि लिए जाने पर सूकैबक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एग्रे एवं की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटायी जाने द्वायवती की सुनिश्चितता जोन स्तर पर की जाये।	
5.	प्रस्तावित भूमि पर निर्माण काग करवाने से पूर्व प्रस्तावित भवन विनियम अनुसार जोहपूर विकास प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त अनुमोदित करवाने होंगे।	

दिनांक 13/7/23 को हुए हस्ताक्षर/सील
 प्रस्तावित LAYOUT PLAN से प्रत्युत LAYOUT PLAN
 का मिलान कर चींगों को लाल स्टाई से बिन्दु A से
 F तक किया गया।
 (प्रवीण शर्मा)
 निरीक्षक (पू.अ.)
 जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

४८ नगर नियोजक
शोधपुर विकास प्राधिकरण
शोधपुर

निदेशक व्यवस्था
जोधपुर विकास प्राधिकरण
जोधपुर

Kumawat Survey & Planning Services
55, Laxmi Vihar, Madhuban Housing Board, Jodhpur
Reg. No. C.T.P. RAJNAGAR MITRA 2021 (861) 670



राजस्थान RAJASTHAN

रहन नामा (Mortgage Deed)

हमने नामा एक लिख देते हैं कमल किशोर पुत्र श्री धनराज जी निवासी महामंदिर जोधपुर, ओमप्रकाश पुत्र देवाराम जी निवासी उचियारड़ा जोधपुर, गर्जेंद्र चंदेल पुत्र श्री सोहनलाल जी चंदेल निवासी जालोरी गेट पाली मारवाड़, चैनाराम पुत्र धन्नाराम निवासी उचियारड़ा जिला जोधपुर, शपथ पूर्वक बयान करते हैं कि जिन्हें आगे इस दस्तावेज में प्रथम पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

बहक

सचिव जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर जिन्हें आगे इस दस्तावेज में द्वितीय पक्षकार के नाम से सम्बोधित किया जावेगा के पक्ष में यह दस्तावेज निम्न प्रकार से तहरीरी कर देता हु कि :-

1. यह है की प्रथम पक्षकारान की खरीद सुदा कृषि भूमि खसरा न. 263 कुल रकबा 12-07-00 बीघा ग्राम नांदड़ा कला तहसील व जिला जोधपुर में आयी हुई है।

ओमप्रकाश देवाराम

NOTARY. JODHPUR
23/11/2024

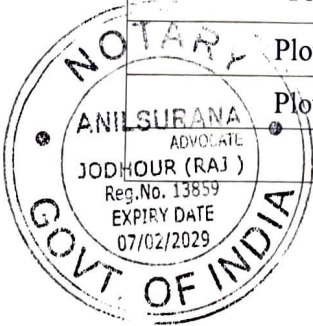
रकेश कच्छवाहा
सहायक प्रशासनिक अधिकारी

2. यह है की उक्त कृषि भूमि का जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर द्वारा आवासीय प्रयोजनार्थ ले-आउट दिनांक 27-09-24 को अनुमोदित किया जा चुका है तथा 90-A की कार्यवाही दिनांक 08-09-23 को पूर्ण हो चुकी है।

3. यह है की टाउनशिप पॉलिसी में निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिककार्य के बाबत 12.5 प्रतिशत भूमि द्वितीय पक्षकार के पास रहन रखे जाने है इस आवासीय कॉलोनी में आंतरिक विकास कार्य टाउनशिप पॉलिसी 2010 एक्ट के नियम 12 के अधीन उक्त विकास करने के लिए प्रतिबंध हु अन्यथा नियमानुसार पेनल्टी भुगतान को तैयार हु उक्त समयवधि में आंतरिक विकास नहीं करने पर भूखंडों को विक्रय हेतु प्राधिकरण अधिकृत होगा।

4. यह है की उक्त खसरा न. 263 के अनुमोदित ले -आउट प्लान में से 12.5 प्रतिशत भूखंड का विवरण निम्न है

भूखंड संख्या	भूखंडों का क्षेत्रफल
Plot no. 10	273.19
Plot no. 19 से 22	1117.06
Plot no. 24 से 26	488.87
कुल	1879.12 वर्गगज



5. यह है की उपरोक्त वर्णित सारणी के भूखंडों को हम प्रथम पक्षकार टाउनशिप पॉलिसी या निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आंतरिक विकास कार्य के बाद 12.5 % भूखंडों के अंतर्गत द्वितीय पक्षकार के पास रहन रख रहे हैं।

6. यह की उक्त भूखंडों को आंतरिक विकास कार्य पूर्ण करने की अवधि तक के लिए रहन रखा गया है। जो आंतरिक विकास कार्य पूर्ण होने के पश्चात द्वितीय पक्षकार नियुक्त कर्मचारी की रिपोर्ट के पश्चात द्वितीय पक्षकार रहन मुक्त कर सकेंगे तत्पश्चात 12.5 % भूखंडों के पट्टे प्रथम पक्षकार प्राप्त करने के अधिकार रहेंगे।

ओम प्रकाश

राम

राजेश ठाकुर
सहायक ज. वि. अधिकारी

लिहाजा ये रहनामा प्रथम पक्षकार द्वितीय पक्षकार के हक में राजी खुशी अकल होशियारी से बिना नशे पते और बिना किसी दबाव को पढ़ कर सुनकर निष्पादित कर दिया गया है। जो लिखे माफिक सही है व सनद है तथा वक्त जरूरत काम आवे।

राम

अमिप्रकाश

हस्ताक्षर प्रथम पक्षकार

Shruti

IDENTIFIED

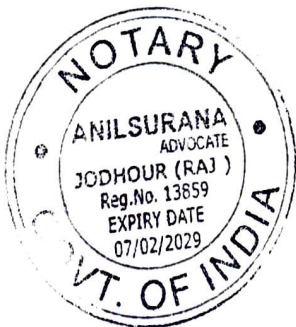
साख:01 साख लिख देता हु की में जयवर्द्धन सिंह पुत्र श्री
शेर सिंह जी जाति राजपूत निवासी
वताम साँवत कुआँ खुर्द जोधपुरने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो
सही है।

Shruti

IDENTIFIED

साख:02 साख लिख देता हु की में जयवर्द्धन सिंह पुत्र श्री
राजेश कुमार जाति राजपूत निवासी गन्नावाली
जोधपुरने प्रथम पक्षकार के कहने से लिख दी है जो
सही है।

मूल रहनामा उत्तर
किताब
29/11/2024
राजेश कुमार
सहायक प्रशासनिक अधिकारी



ATTESTED

NOTARY JODHPUR
29/11/2024